

1[भाग 7

अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा सभापति या उप-सभापति का हटाया जाना

455. किसी सहकारी समिति के सभापति या उप-सभापति के रूप में निर्वाचन किसी व्यक्ति में अविश्वास प्राप्त करने का संकल्प -

(क) इस नियमावली में की गई व्यवस्था से अन्यथा, और

(ख) यथास्थिति सभापति या उप-सभापति के निर्वाचन के दिनांक से बारह माह समाप्त होने से पूर्व नियम 465 निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, नियम 455 (ख) -सभापति के विरुद्ध अविश्वास का संकल्प- कब लाया जा सकता है? - सभापति के विरुद्ध अविश्वास का संकल्प सामान्य रूप से उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की भीतर नहीं लाया जा सकेगा। यदि ऐसा संकल्प एक वर्ष की अवधि समाप्त न होने के पूर्व लाया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। ऐसी अनुमति देने के लिए सभापति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाती। अनुमति देने की

शक्ति विवेकात्मक(discretionary) है और किसी साक्ष्य या अन्य तथ्यों पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती। सभापति की सुनवाई का अवसर प्रदान करने प्रक्रियात्मक संरक्षण (safe guard) की अपेक्षा नहीं की जाती। अजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आदि। 1961 UPLBEC 286

²[456. -अविश्वास के प्रस्ताव को नोटिस नियम 465 निर्दिष्ट प्राधिकारी को (जिसे आगे निर्दिष्ट प्राधिकारी कहा गया है) संबोधित की जायेगी, जिसमें ऐसे प्रस्ताव को लाने के कारणों को स्पष्ट रूप से दिया जायेगा और उस पर प्रबन्ध कमेटी के कम से कम आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

457. प्रबन्ध कमेटी के कम से कम तीन सदस्य जो अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, स्वयं निर्दिष्ट प्राधिकारी को नोटिस प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक शपथ-पत्र होगा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर हैं व हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा नोटिस की अन्तर्वस्तुओं को सुनने या पढ़ने के पश्चात् किये गये हैं।

²[458. (1) अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त होने पर, जैसा नियम 456 और 457 में व्यवस्था है, निर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रस्तावित अविश्वास के प्रस्ताव के विचारार्थ बैठक बुलाने के लिए ऐसा समय, दिनांक और स्थान निर्धारित करेगा, जैसा कि उचित समझे: प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक अविश्वास के प्रस्ताव की नोटिस प्राप्त होने के पैंतीस दिन के भीतर होगी:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक बुलाने के लिये कम से कम इक्कीस दिन की नोटिस दी जाये।

⁴[(2) उपनियम (1) के अधीन बैठक बुलाने के नोटिस में यह भी व्यवस्था की जायेगी कि

अविश्वास प्रस्ताव के सम्यक रूप से पास हो जाने की दशा में यथास्थिति, नये सभापति या उप सभापति का निर्वाचन भी इसी बैठक में किया जायेगा।

1. अधिसूचना संख्या 3815/सी0-1-77-7(5),1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा बढ़ाया गया।
2. अधिसूचना सं0 2497/49-1-2000-7(10)-95 टी0सी0 दिनांक 19 अक्टूबर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं0 2311/49-1-97-7(10)-1995 टी0सी0 दिनांक 13.11.1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं0 2449/49-1-2000-7(10)-95 टी0सी0 दिनांक 19 अक्टूबर 2000 द्वारा बदला गया।

¹[459. (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी उस बैठक के, जिसमें अविश्वास के संकल्प पर विचार किया जाये, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी राजपत्रित सरकारी सेवक को (जो सम्बद्ध समिति के पर्यवेक्षण और प्रशासन से संबंधित विभाग का अधिकारी न हो) नाम निर्दिष्ट करेगा।

(2) प्रबन्ध कमेटी की ऐसी बैठक की गणपूर्ति(कोरम) कमेटी सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक से होगी।

²[460. अविश्वास का संकल्प, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाये, स्वीकार कर लिया गया समझा जायेगा।

461. जब अविश्वास का संकल्प स्वीकार हो जाये तब सभापति और उपसभापति जिसके विरुद्ध वह स्वीकार किया जाये तुरन्त उक्त पद से हट जायेगे और उनका स्थान उत्तराधिकारी लेगा, जो उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप-सभापति को सभापति निर्वाचित किया जाता है तो उप-सभापति उसी बैठक में दूसरे संकल्प द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

462. नियम 461 के अधीन, यथास्थिति नये सभापति या उपसभापति का निर्वाचन अध्याय 29 के उपबन्धों के होते हुए भी नियम 459 में उल्लिखित पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता की बैठक में निम्नलिखित रीति से किया जायेगा-

(क) यथास्थिति, सभापति या उप सभापति प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा;

(ख) अभ्यर्थियों का नामांकन और अनुमोदन इसी बैठक में किया जायेगा। नाम वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात निर्वाचन हाथ उठाकर किया जायेगा;

(ग) निर्वाचन बैठक में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा किया जायेगा। समान मत पड़ने की दशा में निर्वाचन निर्णय पचीं डालकर किया जायेगा;

(घ) बैठक की कार्यवाही पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

463. नियम 461 के अधीन निर्वाचित नया सभापति उप-सभापति, अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटाये गये सभापति या उप सभापति के केवल शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

464. यदि अधिविश्वास का प्रस्ताव गणपूर्ति न होने अथवा बैठक में अपेक्षित बहुमत न

होने के कारण पारित न हो तो अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कोई अनुवर्ती बैठक, पिछली बैठक के दिनांक के छः माह के भीतर नहीं बुलायी जायेगी।

⁴[465.

इस भाग के नियमों में अभिदिष्ट निर्दिष्ट अधिकारी उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट होगा जहा समिति का मुख्यालय स्थित हो।

1. अधिसूचना सं० 2449/49-1-2000-7(10)-95 टी०सी० दिनांक 19 अक्टूबर 2000 द्वारा बदला गया।
2. अधिसूचना सं० 2449/49-1-2000-7(10)-95 टी०सी० दिनांक 19 अक्टूबर 2000 द्वारा बदला गया।
3. अधिसूचना सं० या 719 एम०/49-1-95-7(10)/95 दिनांक 16.11.95 द्वारा बदला गया।
4. अधिसूचना संख्या 3815/सी०-1-77-7(5),1977 दिनांक 24 दिसम्बर 1977 के द्वारा बढ़ाया गया।

प्रपत्र

परिशिष्ट